COURT FEE
TWENTY RUPEES
CANCELLED

174

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण क्रमांक ..../2016 निग -2130-I-16

पुनरीक्षणकर्ता — श्रीमति कुशुमकली द्विवेदी पति श्री विश्म्भर प्रसाद द्विवेदी, आयु–46वर्ष,निवासी–इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी,पुराना कंचनपुर,अधारताल जबलपुर

125

विरूद्ध

उत्तरदाता — 1 प्रवीण कुमार पैगवार पिता श्री अमृतलाल पैगवार, निवासी–विवेक कॉलोनी, पाण्डे गैस गोदाम के पीछे, अधारताल, जबलपुर (म.प्र.)

2 श्रीमान् तहसीलदार,नजूल गोहलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) एवं अन्य

14 JUN 2016

अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता, 1959

पुनरीक्षणकर्ता अधीनस्थ माननीय न्यायालय तहसीलदार गोहलपुर श्री मणीन्द्र सिंह के रा.प्र.क.06/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 09/12/2015 से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :–

NOTARY
JABALPUR (M.P.)

पुनरीक्षण याचिका के तथ्य

पुनरीक्षणकर्ता ने ग्राम अधारताल नं.बं. 6 प.ह.नं. 22/25 नया 01 रा.नि.मं. जबलपुर–1,दीवान आधार सिंह वार्ड, तहसील व जिला जबलपुर की ख.नं.255/1में से एवं डायवर्सन खसरा नं.255,256,268/1,270/1 में से रकबा 1080 वर्गफुट का भूखंड विक्रय पत्र दिनांक 04/10/2010 को दस्तावेज क्रमांक 603/4 व सुधार पत्र दिनांक 29/1/2016 दस्तावेज ई–पंजीयन संख्या एम.पी.18255 2016ए1045773 के द्वारा विक्रेती श्रीमती मीरा बाई यादव पति राजेन्द्र सिंह निवासी–अधारताल वालों से क्रय किया है

-5 JUN 2016

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2130-एक/16 **जिला** - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/02/2019	आवेदक अधिवक्ता श्री आर.पी. तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को अनुविभागीय अधिकारी तह. गोहलपुर जिला जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>अनुविभागीय अधिकारी गोहलपुर</u>**	